रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-49/2017/2037/22-2-2016-17(31)/2012
लखनऊ: दिनांक: 19 जनवरी, 2017

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद** के सिद्धदोष **बन्दी हसनैन (बन्दी संख्या-436/95) पुत्र श्री अहमद अली, निवासी-सरायशंकर, थाना-सरायइनायत, जिला-इलाहाबाद,** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-360/1978** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-148, 302/149, 307/149** के अधीन **दिनांक 17-04-1982** को मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया तथा बन्दी द्वारा दिनांक 01.10.2016 तक काटी गयी 21 वर्ष 02 माह 05 दिन की अपरिहार तथा 28 वर्ष 02 माह 12 दिन की सपरिहार सजा को दृटिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रौल पर सम्यक् विचारोपरान्त शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-49/2017/2037(1)/22-2-2016 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद ।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in